

प्रेषक,

अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद टूण्डला
जनपद-फिरोजाबाद।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
मुख्य शाखा, न्यू दिल्ली।

पत्रांक:- 27 /न0पा0प0टूण्डला/2022-23

दिनांक:- 11-4-2023

विषय:-

ORIGINL APPLICATION NO.510 OF 2022 RAMNARESH Vs STATE OF UP & OTHERS.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय नोटिस दिनांक 04.03.2023 पर जिलाधिकारी फिरोजाबाद कार्यालय पत्र संख्या 3132/स्था0नि0/2022-23 दिनांक 06.03.2023 एवं अनुस्मारक-1 पत्र संख्या 3148/स्था0नि0/रिट/2022-23 दिनांक 13.03.2023 व अनुस्मारक-2 पत्र संख्या 3205 /स्था0नि0/रिट/2022-23 दिनांक 27.03.2023 द्वारा समयान्तर्गत उत्तर दाखिल करने/ आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा गयी है।

उक्त के अनुपालन में उपरोक्त प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा शिकायतकर्ता श्री रामनरेश के शिकायती पत्र की 08 बिन्दु की आख्या एवं जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी की आख्या संलग्नक-1 (22 पृष्ठ) एवं उक्त शिकायत के क्रम में नाले के ऊपर बने शौचालय को ध्वस्त कराने की आख्या पत्रांक 1357/न0पा0प0टूण्डला/2022-23 दिनांक 17.01.2023 संलग्नक-2 पर संलग्न कर इस पत्र के साथ आपकी सेवा में सादर प्रेषित है। जिसके अनुसार शहर का गन्दा पानी यमुना नदी में नहीं पहुँचता है बल्कि यमुना नदी से 05 कि0मी0 पूर्व तक ही किसानों द्वारा फसलों में सिचाई के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। इसलिए पालिका के पानी से यमुना नदी में कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है।
संलग्नक- यथोपरि।

11.4.2023
अधिकासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद टूण्डला।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु-7 लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय फिरोजाबाद।

अधिकासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद टूण्डला।

13 APR 2023

1582

राष्ट्रीय हरित ट्रिबुनल मुख्य शाखा नई दिल्ली

प्रा0पत्र सं0- 510 सन 2022

रामनरेश बनाम उ0प्र0सरकार आदि।

- 1- यह कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगढन्त आधारों पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंकित तथ्य असत्य एवं निराधार हैं।
- 2- यह कि माननीय ट्रिबुनल के आदेश दिनांक 30.08.2022 के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की स्थलीय जांच कराये जाने हेतु 4 सदस्यों को नामित करते हुए समिति गठित की गयी थी।
- 3- यह कि उक्त गठित की गयी समिति के सदस्यों द्वारा शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया गया तथा दिनांक 09.01.2023 को पमारी नाला का निरीक्षण किया गया।
- 4- यह कि नगर पालिका परिषद टूण्डला द्वारा सिचाई विभाग से प्राप्त अनुज्ञा दिनांक 01.03.2017 के अनुपालन में शहर टूण्डला का मिश्रित गन्दा पानी को नियंत्रित करने एवं नगर के सौन्दर्यीकरण हेतु भर्ना नाले के कच्चे से पक्का बनवाया गया था शहर से निकला पानी भर्ना नाला/पमारी नाला से शहर से बाहर जाता है इसके पानी का कृषि कार्य की सिचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है इसलिये मिश्रित जल यमुना नदी तक नहीं जाता है।
- 5- यह कि गठित टीम के सदस्य उपजिला मजि० टूण्डला, अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग हाथरस एवं क्षेत्रिय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड फिरोजाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद टूण्डला की संयुक्त समिति द्वारा जल प्रदूषण की जांच हेतु पमारी नाला के प्रारम्भिक स्थल से एवं ग्राम मोहम्मदाबाद के तालाब पर नाला मिलान से एवं तालब के पश्चात पमारी नाले से एवं काईस्ड द किंग इण्टर कालेज के पास एवं कोठी नं० 1 के पास से पमारी नाला के जल के सैम्पल लेकर टैस्टिंग रिपोर्ट हेतु समिति द्वारा भेजे गये जिसकी रिपोर्ट लैब द्वारा टेस्ट कर प्रस्तुत की गयी है जिसका उल्लेख समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया गया है। (आख्या संलग्न)


अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
टूण्डला, फिरोजाबाद

/2/

6- यह कि पमारी नाला पर जो शौचालय बनाया गया था उसका सीवेज टैंक नाल की पटरी के पास अलग बनाया गया था इसलिए शौचालय की गंदगी को पमारी नाले में सीधे प्रवाहित नहीं किया गया था किन्तु शौचालय पमारी नाले पर होने के कारण सिचाई विभाग की आपत्ति के कारण नाले के पाटकर बनाये गये शौचालय को तत्काल नगर पालिका परिषद टूण्डला द्वारा तुड़वाकर उसका मलवा (ईट,मिट्टी आदि) पालिका द्वारा हटा दिया गया जिसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग हाथरस को पालिका के पत्रांक 1357/दिनांक 17.01.2023 द्वारा देदी गयी जो संलग्नक 02 पर संलग्न है।

7- यह कि पमारी नाला मे घरेलू उपयोग का अवषेश जल जो पमारी नाला मे जाता है उसका उपयोग पमारी नाला से लगे हुए कृषकगणो द्वारा अपने अपने डीजल इंजन से कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाता है जो पमारी नाला की 7 कि०मी० लम्बाई मे नगला चूरा तक कृषकगण के उपयोग मे आता है। इसलिए नगला चूरा से यमुना नदी की दूरी 05 कि०मी० तक पमारी नाला मे वर्षाऋतु के अलावा कभी कोई जल यमुना नदी तक नही जाता है।

8- यह कि आदेश के अनुपालन में 4 सदस्यो की गठित समिति की स्थलीय आख्या से स्पष्ट है कि पमारी नाला में नगर पालिका परिषद टूण्डला के भवनो मे उपयोग किये जा रहे जल का अवषेश (अवदूषित) मिश्रित जल पमारी नाला से यमुना नदी मे नहीं जा रहा है। उक्त अवदूषित एवं मिश्रित जल का उपयोग कृषकगण द्वारा कृषि कार्य हेतु किया जा रहा है इसलिये यमुना नदी का जल पमारी नाला के जल से अवदूषित नही हो रहा है।


अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
टूण्डला, फिरोजाबाद

अम्सोय |

२२५०६

REPORT
PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
(NGT), NEW DELHI
O.A. No. 510 of 2022

IN THE MATTER OF

RAMNARESH

APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND OTHERS

RESPONDENT

INDEX

S.N.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPORT OF JOINT COMMITTEE CONSTITUTED IN THE MATTER OF O.A. NO. 510/2022 RAMNARESH VERSUS STATE OF UTTAR PRADESH AND OTHERS IN COMPLIANCE OF HON'BLE NGT, ORDER DATED: 30 08 2022.	
2.	ANNEXURE-A HON'BLE NGT ORDER DATED: 30 08 2022	

Report

In compliance of
Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi's order dated 30.08.2022
In the matter of Original Application No.510/2022
(Ramnaresh Versus State of Uttar Pradesh and others)

Joint Committee as per order
UPPCB & District Magistrate, Firozabad, U.P.
(Additional Committee members, S.D.M., Tundla,
Ex-En Irrigation Department, Hathras,
E.O. Nagar Palika, Tundla)

Contents

S.N.	Description	Page No.
1	Background	4
2	Inspection and Monitoring of Joint Committee	4
3	Introduction	5
4	Inspection of Pameri Drain.	5
5	Details of Sampling Points.	6
6	Details of Analysed Samples Report	7
7	Action Taken Report	8
	ANNEXUR 11 :- Photo Gallery	

1.0. Background

In compliance of the Hon'ble NGT order dated 30.08.2022 in the matter of O.A. No. 510 of 2022 Ramnaresh Versus State of Uttar Pradesh and others regarding verification of factual position of complaint about discharge of untreated sewage in Pameri drain which is adding to pollution of River Yamuna. The relevant part of the order is as follow:

".....Accordingly, we constitute a joint committee comprising representative of State PCB and District Magistrate, Firozabad and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position, take appropriate remedial action by following due process of law and submit its Factual and Action Taken Report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

In compliance to said order, following committee was constituted.

Nominated Members

1. Sh. Satyendra Kumar, SDM, Tundla
2. Sh. Baljeet Singh, Executive Engineer, Irrigation deptt., Hathras.
3. Sh. Surendra Pratap, Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Tundla.
4. Sh. V.K. Dubey, Regional Officer, U.P.P.C.B., Firozabad .

2.0. Inspection and Monitoring of Joint Committee:

Committee carried out the inspection of the Pameri Drain on dt. 09.01.2023. During the inspection S.D.M., Tundla & representative of Pameri Drain (Ex-En irrigation department, Hathras and Executive officer, Nagar Palika Parishad, Tundla.) were present. The applicant was informed through telephonically and text by UPPCB to associate with joint inspection committee but applicant did not associate with the joint committee. Pameri Drain salient observation and recommendations of inspection team are given below.

3.0. Introduction:

Complainant stated in his complain that Discharge of untreated sewage in Pameri drain which is adding to pollution of River Yamuna. To verify the factual status. The Inspection of Pameri drain was carried out on 09.01.2023. Toilets have been constructed over the drain in the mid of Tundla town. The mix sewage Waste water from the toilet/Sauchalaya was going into the drain. As per the irrigation department's letter dt. 01.03.2017, they had given conditional NOC letter only for the constructions of drain (Annexure-A).

Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Tundla has also reported to Additional District Magistrate (F/R), Firozabad vide letter dt. 20.12.2022. That they have constructed Sauchalaya over the drain (Annexure-B).

4.0. Inspection of Pameri Drain:

District Magistrate, Firozabad has constituted the inspection team of S.D.M., Tundla, Ex. Engineer, Irrigation deptt., Hathras, E.O. Tundla & R.O., UPPCB, Firozabad. Regarding complaint inspection the committee/representative visited the Pamari drain start point at Village-Pamari, Tehsil-Tundla, District-Firozabad and sample collection were carried out on dt. 09.01.23 of Pamari Village/Pamari drain having Lat. -27.265867° , Long. -78.23402° .

Pamari drain which starts from Villgae- Pamari and meets a big pond near Village-Mohammadabad (Tundla) having area of around 2.0 Hectare as per Nagar Palika discussion. A culvert under passing National Highway which carries ponds water & rain water including the discharge of Mohammadabad village but presently no flow was noticed during inspection.

As per the report of Nagar Palika, Tundla. They have constructed permanent roof top slab over the Pamari drain and Toilets has been constructed over it for which septic tank & soak pit provided. During inspection it is noticed that the domestic sewage is discharged in Pamari drain. Which travels around 12 kms. & on the way of Sewage mixed waste water of the drain is used by local farmers for Irrigation purpose by providing Diesel Engine also as per their requirements. The drain passes through Village-Chulawali, Nagla Teja, Nagla Gadhiya (Rasulabad) & Nagla Chhar at approx 7 Kms having Lat. 27.156423^o & Long. 78.241558^o. The drain ends nearby Village Nagla Chhar. The whole drain water is temporarily stopped by local farmers. After that there is no waste water/ sewage was flowing in the drain and the drain found in dry condition (Photograph of the drain is attached as Annexure-C). Hence at present there is no direct discharge in River Yamuna. Only during rainy season it may be meets River Yamuna. No other encroachment were found over the drain other than toilets during the inspection. Effluent samples was collected during inspection from the following sampling points.

5.0. Detail of Sampling points are given below.

S.No.	Date of Sample Collection	Sampling Points	Lat. & Long.
1	09.01.2023	Pamari (Panwari) Village (Drain) (Starting Point)	Lat. – 27.265867 ^o Long. – 78.23402 ^o
2	09.01.2023	Mohammadabad Village at Tundla, Pamari (Panwari) drain before meeting the big pond	Lat. – 27.232182 ^o Long. – 78.236272 ^o
3	09.01.2023	Mohammadabad Village pond after meeting Pamari (Panwari) drain	Lat. – 27.231778 ^o Long. – 78.236378 ^o

4	09.01.2023	Christ the king inter college, Mohammadabad, Tundla Road populated area Tundla.	Lat. – 27.228212° Long. – 78.237052°
5	09.01.2023	Kothi No. 1, Tundla (R.P.F. Barack) after illegal Shauchalaya (Before meeting River Yamuna)	Lat. – 27.209576° Long. – 78.24508°

The effluents sample deposited to the Regional Office Laboratory, UPPCB, Agra for Analysis purposes. As per the sample Analysis report received from R.O., UPPCB, Agra Office. The quality of mixed Domestic effluents is not meeting the standards (Annexure-D).

6.0. Details of Analysis report are given below.


S.No.	Sampling Points	Parameter as per water testing report	Standard
1	Pamari (Panwari) Village (Drain)	P ^H - 7.9, TSS-687 mg/l, B.O.D.-194 mg/l, COD- 416 mg/l, TDS- 1718 mg/l	P ^H - 5.5 to 9.0 TSS - 100 mg/ltr BOD - 30 mg/ltr COD - 250 mg/ltr TDS- No Standard
2	Mohammadabad Village at Tundla, Pamari (Panwari) drain before meeting the pond -1	P ^H - 8.1, TSS-109 mg/l, B.O.D.-28 mg/l, COD- 104 mg/l, TDS- 537 mg/l	
3	Mohammadabad Village pond-2 after meeting Pamari (Panwari) drain	P ^H - 7.7, TSS-164 mg/l, B.O.D.-58 mg/l, COD- 168 mg/l, TDS- 1511 mg/l	


4	Christ the king inter college, Mohammadabad, Tundla Road populated area Tundla.	P ^H - 8.4, TSS-235 mg/l, B.O.D.-116 mg/l, COD- 384 mg/l, TDS- 2216 mg/l	
5	Kothi No. 1, Tundla (R.P.F. Barack) after illegal Shauchalaya	P ^H - 8.1, TSS-128 mg/l, B.O.D.-114 mg/l, COD- 368 mg/l, TDS- 1841 mg/l	

7.0. Action Taken Report (ATR)

1. Asstt. Engineer (III), Irrigation deptt., Hathras has given letter Dt. 13.01.2023 to Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Tundla that illegal Sauchalaya constructed over the Pamari drain should be removed within 03 days (Letter Copy enclosed).
2. A notice has been issued to Executive Officer, Tundla dt. 10.01.13 regarding sewage discharge in Pamari drain by U.P.P.C.B. (S.P.C.B.) (Copy enclosed).
3. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Tundla and Irrigation deptt., Hathras jointly demolished the illegal Sauchalaya through JCB machine on dt. 17.01.2023 & damaged the whole civil structure form Pamari drain and now sewage discharge in Pamari drain is stopped which was going through Sauchalaya. Compliance report of Executive Engineer, Irrigation deptt., Hathras in this regard dt. 18.01 2023 submitted.


(Surendra Pratap)
Executive Officer
Nagar Palika,
Tundla


(Baljeet Singh)
Executive Engineer
Irrigation Deptt.
Hathras


(V.K. Dubey)
Regional Officer
U.P.P.C.B.
Firozabad


(Shalendra Singh)
Sub.Divisional Magistrate
Tundla


(Ravi Ranjan)
District Magistrate

उपरोक्त प्रतिबंधों के अनुसार कार्य न करने की दशा में विभाग द्वारा प्रदान की गयी अनुमति स्वतः निरस्त होगी जायेगी तथा सम्बन्धि को खिलाफ नियमानुसार दिसागीस कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्य कराने हेतु प्रदान की जा रही अनुमति मात्र इसी दार के सिरे प्रदान की जा रही है कार्य कराने के उपरान्त उक्त नाले पर भविष्य में आपके विभाग का कोई आधिपत्य नहीं रहेगा अर्थात् भविष्य में उक्त नाले पर आपके विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जायेगा।

[Signature]
 अधिसारी अभियन्ता
 सिवाई खण्ड हजूरस

पत्रांक: / तारिखांक- 03/2016

- प्रतिलिपि निम्न निहित की सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 1- मुख्य अभियन्ता मंगा सिवाई एवं अन्य सम्बन्धित विभाग से 30 मिनट को उनके पत्र संख्या नि० 225/मुआम/ मथुरा मण्डल तारिख-15.02.2017 के क्रम में सूचनाएँ प्रेषित।
 - 2- अधीक्षण अभियन्ता सिवाई कार्य संख्या मथुरा उक्त पत्र संख्या-301/सिऊमम/संजोसो/तारिख-20.02.17 को।
 - 3- जिलाधिकारी जनपद सिरोजागढ़।
 - 4- सहायक अभियन्ता सूचीय, सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं जिलेदार सूचीय, सिवाई खण्ड हजूरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार कार्य की गंभीरता एवं तथा उपरोक्त प्रतिबंधों के साथ कार्य न कराने जागे की स्थिति में कार्य को नन्द करवाकर निर्धारित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा जमीनदाहरी को भी अवगत कराये।

[Signature]
 अधिसारी अभियन्ता
 सिवाई खण्ड हजूरस

ANNEX-13

प्रति,

अधिसूचना अधिकारी
नगर पालिका परिषद दूधडा
समाप्त-समाप्त-समाप्त।

सेवा में,

उपरोक्त अधिसूचना (मि०/स०)
विशेषज्ञ।

पत्रांक 1243 /न०पा०प०दूधडा/2022-23

दिनांक- 20.12.2022

विषय- सिविल विभाग के ड्रेन के ऊपर शौचालय एवं गंदे पानी को बिना सीवरों के ड्रेनमेंट प्लांट के पानी ड्रेन में डालने के सम्बन्ध में विज्ञापनी प्रार्थना पत्र।

संदर्भ,


उपरोक्त विषयक अधिसूचनाओं श्री राजनरेश पुत्र रव० श्री सनाधोर निवासी- आनन्द नगर, दूधडा थाना-समाप्त-समाप्त के द्वारा सिविल विभाग के ड्रेन के ऊपर पारिषद द्वारा निर्मित शौचालय के गंदे पानी को बिना सीवरों के ड्रेनमेंट प्लांट के पानी ड्रेन में डाल दिने के सम्बन्ध में विज्ञापनी की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद दूधडा द्वारा भरी गली पर बनाये गये शौचालय का सेंट्रिक टैंक (सीवर टैंक) अलग बना हुआ है। एवं उक्त शौचालय के गंदे पानी को सेंट्रिक बना हुआ है। नगर दूधडा से भरी गली द्वारा पानी धनुना की तक पहुँचने की सम्भाव्यता कम है। इसलिए यहाँ जल को पानी की धनुना नदी तक पहुँचता है। जो सम्बन्ध के पानी का निरस्त होकर सिविल के रूप में सफ़ाई प्रिया जाता है।


आशा है आपकी सेवा में सादर प्रस्तुत है।

संतोषक- स्वामी धीरो।

अधिसूचना अधिकारी
नगर पालिका परिषद दूधडा।



ANNEX-13




Rasulabad, Uttar Pradesh, India
 564R+R5R, Rasulabad, Uttar Pradesh 283204,
 India
 Lat 27.166412°
 Long 78.241547°
 12/01/23 04:24 PM GMT +05:30

Google


TOPS Map © 2023

ANIRU-CLERY CRAIN



ANNEK - C - DRY DRAIN



Google          

Rasulabad, Uttar Pradesh, India
564R+R6R, Rasulabad, Uttar Pradesh 283204, India
Lat 27.156327°
Long 78.24157°
12/01/23 04:21 PM GMT +05:30

ANNEX-C: DRY RAIN

ANNEX-D



REGIONAL OFFICE
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
H. No. 14, SECTOR-3B, AWAS VIKAS SIKANDRA YOJANA, RODLA, AGRA-282007

ANALYSIS REPORT OF DRAIN / POND WATER SAMPLES SUBMITTED BY REGIONAL OFFICE FIROZABAD IN THE MONTH OF - JANUARY 2023

S.No	Name of Drain	Date of Sample collection	Sample Collected By	Colour	Odour	pH	TSS	TDS	BOD	COD
1	Drain Panwarl at Village Panwarl	09.01.2023	Shri M.M Gautam S.A	Slightly Blackish	Unpleasant	7.9	687	1718	194	416
2	Panwarl Drain Village Mohammadabad (Pond-1)	09.01.2023	Shri M.M Gautam S.A	Slightly Yellowish	Unpleasant	8.1	109	337	28	104
3	Pond-2 Village Mohammadabad, Tundla, Firozabad	09.01.2023	Shri M.M Gautam S.A	Slightly Greenish	Unpleasant	7.7	164	1511	58	168
4	Drain Chrial The King Inter Collage, Mohammadabad, Firozabad	09.01.2023	Shri M.M Gautam S.A	Greyish	Unpleasant	8.4	235	2216	116	384
5	Drain at Kothi no-1 (RPF Barrack) Tundla, Firozabad	09.01.2023	Shri M.M Gautam S.A	Slightly Yellowish	Unpleasant	8.1	128	1841	114	368

Note- All the parameters are expressed in mg/L except pH and stated otherwise.
Remark- pH, Colour & Odour Parameters analysed and reported by Regional Office, Firozabad.

[Signature]
13-1-23
SCIENTIFIC ASSISTANT

[Signature]
13/1/23
ASST. SCIENTIFIC OFFICER

[Signature]
13/1/23
REGIONAL OFFICER

Letterdt 13.01.23

सहायक/अतिरिक्तपूर्ण

कार्यालय सहायक अभियन्ता तृतीय
सिंचाई खण्ड, हाथरस

पत्रांक: सहायक/अतिरिक्तपूर्ण/भरस पगडी नाला/ दिनांक: /01/2023
विषय: पगडी ड्रेन पर किये गये अवैध तरीके से शौचालय का निर्माण एवं उक्त ड्रेन में गन्दा पानी डालने जाने के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 3675/सिखहा/दिनांक 21/12/2022
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद दुण्डला, जिला-फिरोजाबाद।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा पगडी ड्रेन के ऊपर अवैध तरीके से शौचालय का निर्माण किया गया है एवं उक्त ड्रेन में गन्दा पानी का कच्चा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के डी डालने का कार्य किया जा रहा है। उक्त अतिक्रमण करने की कोई अनुमति विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गयी थी। जिसके कारण आपके विरुद्ध विधिक विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुये कौन्सिल एक्ट-1873 की धाराओं अन्तर्गत नोटिस दिया गया है। साथ ही उक्त प्रकरण मा० ग्रीन ट्रीब्युनल न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि उक्त अवैध तरीके से निर्माण किये गये शौचालय/अतिक्रमण को तीन दिवस के अन्दर हटवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा सिंचाई विभाग द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटा/तोड़ दिया जायेगा एवं अतिक्रमण को हटाने/तोड़ने में हुआ पूर्ण खर्च आपसे वसूल किया जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

सहायक अभियन्ता तृतीय
सिंचाई खण्ड, हाथरस

पत्रांक: 13 /सहायक/अतिरिक्तपूर्ण/ दिनांक: 13 /01/2023

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
2. अपर जिलाधिकारी (रा०/वि०), फिरोजाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हाथरस को उनके पत्रांक 3675/सिखहा/ दिनांक: 21/12/2022 के अनुपालन में।

सहायक अभियन्ता तृतीय
सिंचाई खण्ड, हाथरस



दूरभाष नं० : (05612)230838
e-mail:- rofiruzabad@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board
भवन सं०-3/5 बी, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

Letter of UPPCB

संदर्भ संख्या: 518/सि.प्र.198/2023,

दिनांक 10/01/2023.

सेवा में,

अधिशारी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
दूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद।

मा० एन०जी०टी० प्रकरण
महत्वपूर्ण/अतिआवश्यक

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-510/2022 (राम नरेश बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०) में पारित आदेश दिनांक 30.08.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-पामेरी ड्रेन में दूण्डला टाउनशिप के Untreated निक्स सीवेज निरतारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शिकायतकर्ता श्री रामनरेश, निवासी- आनन्द नगर, दूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-510/2022 (राम नरेश बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०) में पारित आदेश दिनांक 30.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शिकायतकर्ता द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के माध्यम से शिकायत की गई है कि आप द्वारा पामेरी ड्रेन के माध्यम से अशुद्धिकृत (Untreated) सीवेज उत्स्राव को बिना किसी शुद्धिकरण के सीधे यमुना नदी में निस्तारित किया जा रहा है जिससे यमुना नदी में पर्यावरणीय जल प्रदूषण हो रहा है। तत्क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 30.08.2022 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण, जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 09.01.23 को किया गया तथा पामेरी ड्रेन के निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा ड्रेन के ऊपर पक्का रखाई रखे जालकर शहर के अन्दर शौचालय का निर्माण किया गया है तथा दूण्डला शहर का सीवेज भी ड्रेन के माध्यम से ही वर्तमान में निस्तारित किया जा रहा है। उक्त निक्स सीवेज के शुद्धिकरण हेतु आप द्वारा सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट (एस०टी०पी०) की स्थापना नहीं की गई है तथा पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है।

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि एक माह के अन्दर सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव, डिजाइन डिटेल्स तथा "समयबद्ध कार्यक्रम" इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं तात्कालिक रूप से अचलित ड्रेन को चायो रिमेडियेशन के माध्यम से शुद्धिकृत किया जाये। अन्यथा की दशा में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (संशोधित) के अन्तर्गत दंडिक कार्यवाही करते हुये आपके विभाग के ऊपर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरादित्य आपके स्वयं का होगा।

भवदीय

mse 10/01/23
(डी० के० डूरे)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निर्माणाधीन को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद को सादर सूचनाार्थ।
2. उपजिलाधिकारी महोदय, दूण्डला, फिरोजाबाद को सादर सूचनाार्थ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को अंतिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. विला अधिकारी-प्रथम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. अधिशारी अभियन्ता, सिविल चण्ड, हाथरस को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अधिशारी अधिकारी, दूण्डला को आपके विभाग द्वारा प्रदान की गई सशर्त अनुमति दिनांक 01.03.2017 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

mse 10/01/23
क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of The Executive Engineer
सिंचाई खण्ड हाथरस
Irrigation Division, Hathras



नहर पोपिया कोठी, हाथरस
Nahar Popiya Kothi, Hathras
Phone No. 05722-272306
E-Mail ID- ecidhathras@gmail.com

Compliance Report
With Photographs

पत्रांक:- 154 /सिंचाई/ दिनांक:- 18/01/2023
विषय:- रामनरेश पुत्र स्व० श्री सन्तवीर, दिवासी- आनन्द नगर, दूण्डला द्वारा पमाडी ड्रेन की शिकायत के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी, जनपद- फिरोजाबाद।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री रामनरेश पुत्र स्व० श्री सन्तवीर, दिवासी- आनन्द नगर, दूण्डला द्वारा पमाडी ड्रेन की जो शिकायत मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को की गयी है, उसके क्रम में दिनांक:- 17.01.2023 को जिलाधिकारी, जनपद- फिरोजाबाद एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दूण्डला, जनपद- फिरोजाबाद के सहयोग से पमाडी ड्रेन पर चने शौचालयों एवं अतिक्रमण को ध्वस्त करा कर उक्त अतिक्रमण हटवा दिया गया है। रूचिकार्य सेवामें प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हाथरस

पत्रांक: 154 /सिंचाई/ तददिनांक: 18/01/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को रूचिकार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दूण्डला, जनपद- फिरोजाबाद।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हाथरस


आगरा, उजाला प्रकाशन लिमिटेड - 12/01/2023

नाले पर बने पिंक शौचालय को ढहाया एनजीटी में हुई शिकायत पर हुई कार्रवाई, चार साल पहले पालिका ने बनाया था

संवाद न्यूज़ एजेंसी

ढंडला। नगर पालिका द्वारा स्टेशन रोड स्थित भरा नाला पर बनवाए गए पिंक शौचालय को जिलाधिकारी रवि रंजन के आदेश पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने ध्वस्त करा दिया। यह कार्रवाई नाले के ऊपर बनाए गए शौचालय को एनजीटी में शिकायत के बाद हुई।

नगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्य कर वर्ष पूर्व स्वच्छ भारत निराम योजना के तहत भरा नाला के ऊपर पिंक शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया था। इस शौचालय में ढंडला व निलार बस्ती की महिलाएं शौच के लिए जाती थीं। शौचालय को नाले के ऊपर बनाए जाने एवं नाले में गंदगी जाने और



शौचालय के ध्वस्तीकरण को देखते विभाग के अधिकारी। संवाद

यह गंदगी यमुना तक जाने की शिकायत रामनरेश नामक व्यक्ति ने एनजीटी नई दिल्ली में शिकायत की थी। एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने डीएम व क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच रिपोर्ट


मांगी थी। नौ जनवरी को एसडीएम सत्येंद्र सिंह, ईओ सुरेंद्र प्रताप, पर्यावरण क्षेत्रीय अधिकारी धीरे दुबे व सिंचाई विभाग ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर डीएम रवि रंजन मंगलवार सायं


डीएम के आदेश पर अतिक्रमण को हटा दिया गया है। यमुना में नाले का गंदा पानी नहीं जा रहा। आगे नाले को पानी का प्रयोग किसान सिंचाई में प्रयोग कर रहे हैं।


- धीरे दुबे, क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग

पर्यावरण अधिकारी दीपक कुमार और नगर पालिका टॉम जैसीबी लेकर पहुंची।

टॉम ने पिंक शौचालय को ध्वस्त करा दिया। शौचालय में रह रही महिला कुसुमा देवी ने बताया कि वह जब से शौचालय बना है तभी से यहां रहकर साफ सफाई करते हुए रह रही थी। टॉम ने उसके सामान को बाहर फेंकते हुए जैसीबी लगाकर शौचालय को ध्वस्त करा दिया।







संलग्नक - 2

कार्यालय नगर पालिका परिषद टूण्डला (फिरोजाबाद)

पत्रांक:- 1357 /न0पा0प0टूण्डला/2022-23

दिनांक- 17.01.2023

विषय:- पमाडी ड्रेन पर किये गये अवैध तरीके से शौचालय का निर्माण एवं उक्त ड्रेन में गंदा पानी डाला जाने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

सहायक अभियन्ता तृतीय
सिंचाई खण्ड, हाथरस।

महोदय,


उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 18/सहा0/अभि0तृतीय/भर्रा पमाडी नाला/
दिनांक 13.01.2023 द्वारा पालिका द्वारा पमाडी ड्रेन के ऊपर बनाये गये शौचालय के गन्दे पानी को रोकने
हेतु शौचालय को तोड़ने की अपेक्षा की गयी है।उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि पालिका द्वारा उक्त नाले के ऊपर बने शौचालय
को ध्वस्त कर दिया गया है। (फोटो संलग्न)
संलग्नक- यथोपरि।अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद टूण्डला।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय फिरोजबाद।
2. अपर जिलाधिकारी (वि/रा), फिरोजाबाद।
3. अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हाथरस।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद टूण्डला।

पमाडी ड्रेन के ऊपर बनाये गये शौचालय की स्थिति




 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद टूण्डला।